



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमॉक:- प.2 (सब)4882/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

श्री नाथु सिंह गहलोत, सहायक कृषि अधिकारी जो कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) भीलवाडा में कार्यरत थे, की मृत्यु दिनांक 13.10.2021 को हो जाने से यह दिनांक 14.10.2021 से राज्य सेवा में नहीं रहे हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री नाथु सिंह गहलोत के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ० ओम प्रकाश)

आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज कृषि

कमॉक:- प.2 (सब)4882/आ.कृ./गुप-9/ 10252-59

दिनांक: 15/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) भीलवाडा, खण्ड भीलवाडा।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद् भीलवाडा।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु० जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- सहायक निदेशक कृषि (वि०) भीलवाडा।
- 6- श्री नाथु सिंह गहलोत, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि०) भीलवाडा।
- 7- निजी पंजिका।

(कैलाश चंद मीणा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)